इद्रिशन याकुभान पठान

बनाम

गुजरात राज्य द्वारा लोक अभियोजक

27 जुलाई, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.)

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2000; धाराएँ. 3(3), 4;20, 21(2)(बी), 22(3), 34(1)(4)/दंड संहिता, 1860; धाराएँ 120(बी), 286,307 और 337/विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908; धाराएँ 3,4& 6: आतंकवाद निवारण अधिनियम के तहत आरोप-अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की शुरुआत -विशेष न्यायालय, पोटा के आदेश को चुनौती देना, अभियुक्त द्वारा दो अपीलें दायर-पोटा के तहत एक मामले में उसे बरी करते हुए, उच्च न्यायालय ने पोटा के तहत दूसरे मामले में जमानत के लिए उसकी याचिका को खारिज कर दिया और अपील भी खारिज की गई-अपील पर, निर्णितः उच्च न्यायालय का निष्कर्षण इस आधार पर न्यायोचित नहीं था, कि उसने पोटा के पश्चातवर्ती मामले का निस्तारण, उसके पूर्ववर्ती मामले में किए गए पर्यवेक्षण/टिप्पणी के आधार पर किया था- अतः पश्चातवर्ती मामले से संदर्भित आपराधिक

अपील नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाती है।

अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ दो कार्यवाहियाँ शुरू की गईं थी। पहला मामला पोटा केस नम्बर 08/2003 था और दूसरा मामला पोटा केस नम्बर 12/2003 था। अपीलार्थी द्वारा डेजिकनेटेड न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय (पोटा) के आदेशों को आक्षेपित करते हुए दो आपराधिक अपीले दांयर की गई थी, आपराधिक अपील संख्या 1287/2004 और 1288/2004 क्रमशः थी। अपीलार्थी पोटा केस नम्बर 08/2003 में आरोपों से विमुक्त किया गया था। जहाँ तक पोटा केस नम्बर 12/2003 में जमानत का प्रश्न है तो न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं० 1287/2004 के निस्तारण के समय कतिपय पर्यवेक्षण किए गए थे। अतः हस्तगत अपील है।

अपील को स्वीकारते हुए, न्यायालय का निर्णय -

1.1 उच्च न्यायालय ने यह माना कि पोटा केस नम्बर 08/2023 में अपीलार्थी/अभियुक्त के बरी होने से अपील निष्प्रभावी /निष्फल है, जो कि आपराधिक अपील संख्या 1287/2004 थी। जहां तक आपराधिक अपील संख्या 1288/2004 का संदर्भ है, तो वह पोटा केस नम्बर 12/2003 से संबंधित है। अतः उच्च न्यायालय का यह

निष्कषर्ण जिसमें पोटा केस नम्बर 12/2003 से संदर्भित मामलों को, पोटा केस नम्बर 08/2003 की अपील में दिए गये पयर्वेक्षण/टिप्पणियों के अधार पर निर्धारित किया गया था,न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा, आपराधिक अपील 1288/2004 जो कि पोटा केस नम्बर 12/2003 से संदर्भित है, में यह नहीं देखा गया था कि क्या संबंधित न्यायालय द्वारा पोटा केस में कोइ अनुतोष किया जा सकता है या नहीं? उच्च न्यायालय के समक्ष केस नम्बर को लेकर विभ्रम की स्थिति थी। ऐसी परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाकर, प्रकरण आपराधिक अपील 1288/2004 उच्च न्यायालय को पुनः विधिसम्मत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

2. यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रकरण के गुणावगुण पर इस आदेश में कोई मत व्यक्त नहीं किया जा रहा है। [पैरा 5] [607-एफ]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारिताः आपराधिक अपील सं. 943/2007

गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 08.01.2007 के विरूद्घ आपराधिक अपील संख्या 1288/2004

वास्ते अपीलार्थी - काकिनी जयसवास

वास्ते प्रतिवादी - हेमंतिका वाही।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में गुजरात उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा धारा 34(1)(4) आतंकवाद निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील के खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति के बारे में कुछ भ्रम प्रतीत होता है और इसलिए अन्य विवरणों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है।

3. निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती तो डेजिग्नेटेड़ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पोटा) अहमदाबाद द्वारा पारित विशेष आदेश दिनांक 7.7.2004 के संदर्भ में थी। अपीलार्थी के खिलाफ दो कार्यवाहियाँ शुरू की गई थी। पहली कार्यवाही, जो कि आई.सी.आर.नम्बर 184/2002 कागड़ापीठ पुलिस स्टेशन में दर्ज एवं आई.सी.आर.न 116/2002 वेजालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज और

आई.सी.आर. नम्बर 244/2002 सेटेलाईट पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध अंतर्गत धाराएँ 120(बी),307,337,286 भारतीय दंड़ संहिता, 1860 एवं सपठित धाराएँ 3,4,6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम,1908 एवं अन्तर्गत धाराएँ 3(3) 4,20, 21(2)(बी) और 22(3) से संदर्भित शिकायतों के आधार पर थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा दो अपीलें क्रमशः आपराधिक अपील संख्या 1287/2004 एवं 1288/2004 प्रस्तुत की गयी थी।

अपीलार्थी को पोटा केस नम्बर 08/2003 में लगाये गये आरोपों से विमुक्त किया गया था। जहाँ तक पोटा केस नम्बर 12/2003 में जमानत का प्रश्न है तो, न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील 1287/2004 को दिनांक 21.09.2004 को खारिज करते हुए कुछ टिप्पणियॉ/पर्यवेक्षण किये गये थे। उच्च न्यायालय ने पाया कि चूंकि पोटा केस नम्बर 08/2003 में विमुक्ति हुई है, अतः विधिक के आधार पर अपील निष्फल /निष्प्रभावी है। वस्तुतः उक्त मामला आपराधिक अपील 1287/2004 से संदर्भित था, जबकि आपराधिक अपील 1288/2004, पोटा केस नम्बर 12/2003 से संदर्भित थी। अतः उच्च न्यायालय का यह निष्कर्षण जिसमें इस मामले को, पोटा केस नम्बर 08/2003 की अपील में दिए गये पर्यवेक्षण टिप्पणियों के अाधार पर निर्धारित किया गया था, न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

4. अभिलेख पर दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि आपराधिक अपील 1288/2004 पोटा मामले नम्बर 12/2003 से संबंधित है। क्या उस पोटा मामले में संबंधित न्यायालय द्वारा कोई राहत दी जा सकती है, जिस पर विचार नहीं किया गया हो? केस नम्बरों को लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष भ्रम पैदा हो गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 2003 के पोटा मामले सं. 12 से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील नम्बर 1288 है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा, जहाँ तक 2003 का पोटा मामला संख्या 12 का संबंध है, अपीलार्थी को जमानत पर उसकी रिहाई के लिए उचित कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1288, पोटा मामले संख्या 12/2003 से संबंधित है। इन परिस्थितियों में हम आक्षेपित आदेश का अपास्त करते हैं और 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1288 से संबंधित मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित है।

5. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की हैं। उपरोक्त विवेचन की सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

एस.के.एस. अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सानुज कुलश्रेष्ठ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।